जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-04.06.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 28.04.2025 को थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त सागर को दिनाँक 01.06.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सूरज पुत्र सोनी निवासी मौहल्ला नई बस्ती पट्टी चौराहा थाना बड़ौत जनपद बागपत।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 02.06.2025 को श्री निर्दोष पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम कच्चीगढ़ी उर्फ गढ़ीअब्दुल्ला खां थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के घर से अज्ञात चोर द्वारा सामान चोरी कर लिया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री निर्दोष की तहरीर के आधार पर थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 चोर ग्राम कच्चीगढ़ी उर्फ गढ़ीअब्दुल्ला खां में घर से चोरी किये गये सामान सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जैद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम गढ़ीअब्दुल्ला खां थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घर से चोरी किया गया सामान (01 चैन सफेद धातू, 02 पायल सफेद धातु, 02 हाथ के कंगन सफेद धातु, 14 चुटकी सफेद धातु, 02 मंगलसूत्र पीली धातु व बर्तन आदि)।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2015 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त घसीटू राम पुत्र देवीराम निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्व माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त घसीटू राम उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 376 भादवि व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

नाम व पता अभियुक्तः-

1.घसीटू राम पुत्र देवीराम निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 10,100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2017 में अभियुक्त फिरोज पुत्र रशीद निवासी डुण्डूखेडा थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 608/2017 धारा 279/337 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2016 में अभियुक्तगण 1.ब्रजपाल उर्फ लाल पुत्र हुकुम सिंह 2.सचिन कुमार पुत्र राजवीर सैनी 3.नरेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र वेदपाल निवासीगण ग्राम वेदखेडी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 274/2016 धारा 147/148/427 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 3,000-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2018 में अभियुक्त सोमपाल पुत्र ब्रहम सिंह निवासी मौहल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 685/2018 धारा 3/4 जुंआ अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 1,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI